भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग

लोकसभा
अतारांकित प्रश्न सं.1372
(जिसका उत्तर सोमवार 8 दिसंबर, 2025 /17 अग्रहायण, 1947 (शक) को दिया जाना है)

अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा का संशोधन

1372. श्री राव राजेन्द्र सिंह

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विश्व बैंक द्वारा अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा को प्रतिदिन 2.15 अमेरिकी डालर से 3.00 अमेरिकी डालर (2021 की क्रय शक्ति समानता-पीपीपी) में संशोधित किए जाने और देश में गरीबी के अनुमान पर इसके प्रभाव को ध्यान में रखा है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) भारत के खपत संबंधी अद्यतन आंकड़ों ने संशोधित वैश्विक गरीबी गणनाओं को किस हद तक प्रभावित किया है; और

(ग) क्या सरकार का आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने और सब्सिडी पर निर्भरता को कम करने हेतु अत्यधिक गरीबी में जीवन-यापन कर रहे लोगों के लिए दीर्घकालिक नीति उपाय लागू करने का विचार है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वित्त राज्य मंत्री
(श्री पंकज चौधरी)

(क) जी, हां। सरकार को विश्व बैंक द्वारा अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा (आईपीएल) को 2.15 अमेरिकी डॉलर से संशोधित करके 3.00 अमेरिकी डॉलर प्रति दिन (2021 क्रय शक्ति समता (पीपीपी)) करने के बारे में जानकारी है। 3.00 अमेरिकी डॉलर प्रति दिन अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा (2021 पीपीपी) के अनुसार, भारत की अत्यधिक गरीबी दर 2011-12 के 27.12 प्रतिशत से घटकर 2022-23 में 5.25 प्रतिशत हो गई। इस अवधि में अत्यधिक गरीबी में रहने वाले लोगों की संख्या 34.4 करोड़ से घटकर 7.5 करोड़ हो गई।

भारत सरकार ने गरीबी का आंकलन करने के लिए एक व्यापक सूचकांक विकसित किया है जिसे राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक (एमपीआई) के रूप में जाना जाता है। नीति आयोग के चर्चा पत्र, '2005-06 से भारत में बहुआयामी गरीबी' के अनुसार, भारत में बहुआयामी गरीबी 2013-14 के 29.17 प्रतिशत से घटकर 2022-23 में 11.28 प्रतिशत होने का अनुमान है, जिसका अर्थ है कि इस अवधि के दौरान 24.8 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आ गए हैं।

(ख): विश्व बैंक के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी में वृद्धि दुनिया भर में कीमतों में परिवर्तन और देश-स्तरीय आंकड़ों में सुधार को दर्शाती है। इस संदर्भ में, विश्व बैंक ने कहा है कि भारत के संशोधित उपभोग सर्वेक्षण डेटा ने वैश्विक गरीबी गणना के संशोधन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

(ग) सरकार का प्राथमिक नीतिगत उद्देश्य जनसंख्या के सभी वर्गों का विकास करना है। समावेशी विकास पर सरकार का विशेष बल गरीबी और असमानता को कम करने, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने, आय सृजन और आजीविका के विकल्प प्रदान करने तथा देश की आबादी के संवेदनशील वर्गों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए "सबका साथ, सबका विकास" की प्रतिबद्धता से परिलक्षित होता है।

इन उद्देश्यों के साथ, सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टैंड अप इंडिया योजना, अल्पसंख्यकों और अन्य संवेदनशील समूहों के विकास के लिए अम्ब्रेला कार्यक्रमों; राष्ट्रीय कृषि विकास योजना; पीएम-किसान के तहत निधि अंतरण, पीएम फसल बीमा योजना के तहत दावों का का भुगतान; उर्वरक सब्सिडी; डेयरी कॉपरेटिव्स के लिए ब्याज संबंधी सहायता; फार्म गेट अवसंरचना आदि के लिए कृषि अवसंरचना निधि जैसे कई लक्षित कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर रही है। इसके अलावा, सरकार ने आधारभूत सुविधाओं तक सार्वभौमिक पहुंच के माध्यम से लोगों के जीवन की गुणवत्ता में समग्र सुधार लाने के लिए जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत अभियान, पीएम उज्ज्वला योजना, पीएम सौभाग्य योजना, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन-धन योजना आदि सहित विभिन्न कार्यक्रमों को क्रियान्वित किया है।

सरकार का बहु-आयामी दृष्टिकोण है जो आर्थिक असमानता को दूर करता है, सामाजिक गतिशीलता को बढ़ावा देता है और निष्पक्ष आर्थिक भागीदारी सुनिश्चित करता है। यह रोजगार सृजन और रोजगार क्षमता में सुधार को प्राथमिकता देता है। वार्षिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) रिपोर्ट यह दर्शाती है कि शहरी और ग्रामीण, दोनों क्षेत्रों में, श्रम बाजार में कोविड-पूर्व के स्तर की तुलना में सुधार हुआ है। 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी दर वर्ष 2018-19 में 5.8 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2023-24 में 3.2 प्रतिशत हो गई है।

रोजगार के अवसरों का विस्तार करने के लिए विभिन्न योजनाएं और कार्यक्रम लागू किए गए हैं। इसके अलावा, पर्याप्त पूंजीगत व्यय, लॉजिस्टिक सुविधाओं में निरंतर सुधार, शहरी विकास, एमएसएमई को बढ़ावा देने, कृषि और विनिर्माण जैसे विकास को बढ़ावा देने वाले उपायों पर ध्यान केंद्रित करने से समग्र आर्थिक विकास को बढ़ावा मिल रहा है, जिससे नागरिकों की रोजगार और क्रय शक्ति में सुधार हुआ है।

सरकार कौशल विकास केंद्रों, स्कूलों, कॉलेजों और संस्थानों के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से स्किल, री-स्किल और अप-स्किल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए स्किल इंडिया मिशन (एसआईएम) भी लागू कर रही है। स्किल इंडिया मिशन का उद्देश्य भारत के युवाओं को उद्योग के लिए प्रासंगिक कौशल से लैस भविष्य के लिए तैयार करना है। इसके अलावा, पीएम विश्वकर्मा योजना अपने हाथों और औजारों से काम करने वाले 18 व्यवसायों के कारीगरों और शिल्पकारों को एंड-टू-एंड सहायता प्रदान करने के लिए सितंबर 2023 में शुरू की गई थी। भारत में प्रगतिशील प्रत्यक्ष कराधान व्यवस्था है, जिसमें उच्च ब्रैकेट में शामिल एक व्यक्ति निम्न आय ब्रैकेट में शामिल व्यक्ति की तुलना में उच्च दरों पर आयकर का भुगतान करता है। इसके अलावा, आयकर पर अधिभार एक निश्चित स्तर से अधिक आय वाले व्यक्तियों पर लागू होता है। इस प्रकार, आय अर्जकों के उच्च ब्रैकेटों के कराधान की तुलना में मजबूत कराधान प्रणाली पहले से ही मौजूद है।

*****